न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट मेरठ।
उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2963 सन् 2026

1. नवनीत त्यागी पुत्र महेन्द्र त्यागी,
2. महेन्द्र त्यागी पुत्र बाबूराम,
समस्त निवासीगण– ग्राम भूनी, तहसील सरधना, जिला मेरठ।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजन

परिवाद संख्या–53/2024
धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0
व 3(2)5क, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989
थाना–सरूरपुर, जिला मेरठ।

उपस्थितः अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता–सुश्री कोमल त्यागी एडवोकेट
राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक–श्री मोहित गुप्ता

दिनांकः 19.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण नवनीत त्यागी तथा महेन्द्र त्यागी की ओर से यह प्रथम नियमित परिवाद संख्या–53/2024, धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5क, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

2. संक्षेप में परिवाद के कथनानुसार परिवादी अनुसूचित जाति का विकलांग व्यक्ति है। विकलांगता के कोटे में वर्ष 2015 में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० का रिटेल ऑउटलेट पैट्रोल पम्प आवंटित हुआ था, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा ग्राम भूनी, तहसील सरधना, जनपद मेरठ की खसरा संख्या 379 रकबा 1600 वर्गमीटर उसके मालिक महेन्द्र सिंह तयागी से दिनांक 27.03.2017 को तीस वर्ष की अवधि के लिये अकृषित घोषित करने के पश्चात् 19,500/– रूपये प्रतिमाह की दर से किराये पर ली थी, जिसका किरायानामा उसी दिन रजिस्टर्ड करा लिया था तथा तीस वर्ष हेतु ही दिनांक 22.09.2017 को इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० के साथ सब लीज रजिस्टर्ड करा ली थी, जिसके उपरान्त कम्पनी द्वारा पैट्रोल पम्प स्थापित कर दिया गया तथा संचालन आर०डी०एम०एल० एनर्जी सर्विसेज के नाम से शुरू कर दिया गया। कुछ दिनो बाद विपक्षीगण ने उसके पैट्रोल पम्प को हड़पने की नीयत से आकर कर्मचारियों के साथ गाली गलोंज व मारपीट की तथा कम्पनी व प्रशासन में झूठी

शिकायत की। इस सम्बन्ध में प्रार्थी पूर्व में भी पुलिस व प्रशासन व अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग में शिकायत कर चुका है। विपक्षीगण ने अपने को उक्त पैट्रोल पम्प का पार्टनर दर्शाते हुऐ प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करके नुकसान पहुंचाने की नीयत से पैट्रोल पम्प के फर्जी व कूटरचित लैटर पैड पर डीलरशिप व एग्रीमैन्ट निरस्त करने हेतु 07.04.2024 को आई०ओ०सी०एल० कम्पनी के अधिकारीगण को पत्र प्रेषित किया है, जबकि प्रार्थी उक्त पैट्रोल पम्प का अकेला मालिक है। नवनीत त्यागी व अन्य कोई उसमें पार्टनर नहीं है। दिनांक 10.04.2024 को प्रार्थी जब मेरठ से शाम लगभग 7:00 बजे ग्राम भूनी स्थित अपने पैट्रोल पम्प पर जा रहा था तो मेरठ–करनाल हाईवे पर महेन्द्र सिंह त्यागी व उसका पुत्र नवनीत त्यागी तथा दो अन्य अज्ञात लोगों द्वारा एक राय मशवरा होकर उसकी गाड़ी को रोक कर उसको माँ–बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुऐ मारपीट की तथा कहा कि साले लंगडे चमार, चमटटे, गिट्टल या तो पैट्रोल पम्प को छोड़कर भाग जा नहीं तो तेरी दूसरी टांग भी तोड देंगे व जान से मार देंगे। प्रार्थी को उसके चालक सावि ने बचाया। प्रार्थी रिपोर्ट लिखाने थाना सरूरपुर गया परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रार्थना पत्र दिया उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 07.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, सरधना को दिया, जिन्होनें उसी समय मुकदमा पंजीकृत करने हेतु थाना सरूरपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः परिवादी ने उक्त परिवाद योजित किया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः आधार यह लिया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। उन्हें पैट्रोल पम्प की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के कारण रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अभियुक्तगण के जमानत पर रिहा होने के उपरांत भागने अथवा गवाहान को धमकाने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 05.06.2026 से अन्तरिम जमानत पर हैं। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग में सात साल तक की सजा का प्रावधान है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

7. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त

प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण नवनीत त्यागी तथा महेन्द्र त्यागी की ओर से परिवाद संख्या–53/2024, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5क, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2963/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा रूपया 25,000/– 25,000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनाकः 19.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference-
For authentic copy Please refer to certified copy only-

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.19 17:34:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court